**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3445**

**दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं**

**†3445. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल, पोषण और कल्याण के लिए कोई नई योजनाएं शुरू की हैं अथवा शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना को जारी की गई लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई निधियों सहित केन्द्र सरकार की मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता, पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व लाभ प्रदान किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत दुरुपयोग, अनियमितताओं और लाभों के अन्यत्र उपयोग के किन्हीं मामलों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तेलंगाना में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) तेलंगाना में पारदर्शी और उचित कार्यान्वयन के साथ पात्र गर्भवती महिलाओं को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार तेलंगाना सहित पूरे देश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण सहायता और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/पहलें लागू करती है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के तहत जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीज़ेरियन सेक्शन सहित पूर्णत: नि:शुल्क प्रसव की सुविधा प्रदान की

जाती है। इस सुविधा में अस्पताल में रहने के दौरान नि:शुल्क दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं, नि:शुल्क भोजन, नि:शुल्क निदान, नि:शुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क रक्त आधान शामिल हैं। एक वर्ष तक के रोगी शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9 तारीख को एक निश्चित दिन विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा नि:शुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

- **विस्तारित पीएमएसएमए** कार्यनीति के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) सुनिश्चित की जाती है और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आने वाली आशा कर्मियों के लिए सुरक्षित प्रसव प्राप्त होने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाती है।

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क और बिना किसी भी प्रकार की सेवा से वंचित किए सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है, ताकि सभी निवार्य मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त किया जा सके।

- **प्रसवोत्तर परिचर्या का अनुकूलन**, माताओं में खतरे के संकेतों की पहचान पर जोर देकर और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार के लिए प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके अंतर्गत पहले बच्चे के लिए ₹5,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के रूप में शेष नकद प्रोत्साहन राशि अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/-

मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए ₹6,000/- का नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।

- **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल कर लिया है।

  मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक) और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। आहार विविधता, गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, हेल्दी फ़ैट्स और कैल्शियम, जस्ता, लोहा, आहारीय फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 सहित आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के सिद्धांतों के आधार पर अधिक व्यापक और संतुलित पूरक पोषण पैकेज प्रदान करने के लिए जनवरी 2023 में पोषण मानदंडों को संशोधित किया गया था। एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार, गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण भी प्रदान किया जाता है।

- **सुमन रोडमैप 2030:** सुमन रोडमैप 2030 जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें गर्भावस्था से पहले की देखभाल, प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान की देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल सहित देखभाल की निरंतरता में कार्यकलापों को एकीकृत किया जाता है।

- **एनीमिया मुक्त भारत अभियान:** भारत सरकार ने हाल ही में 29 जून 2026 को आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (सीसीएचएफडब्ल्यू) की 16वीं बैठक के दौरान एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य एनीमिया की उच्च व्याप्तता का समाधान करते हुए 7X7X7 कार्यनीति अपनाना है, जो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की पुरानी 6X6X6 कार्यनीति से आगे बढ़कर है। जीवन चक्र दृष्टिकोण में, लाभार्थी समूहों में कम जन्म भार वाले शिशु (0-6 महीने), बच्चे (6-59 महीने), बच्चे (5-9 वर्ष), किशोर (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं (20-49 वर्ष) शामिल हैं।

(ख) लाभार्थियों की संख्या और पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक I, II और III** में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सरकार तेलंगाना सहित पूरे देश में पात्र गर्भवती महिलाओं को पारदर्शिता, उचित कार्यान्वयन और समय पर लाभ की सुनिश्चितता के लिए एक मजबूत, बहुस्तरीय ढांचा अपनाया है, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्य की तुलना में राज्यवार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का स्वतंत्र, जमीनी आकलन प्रदान करते हैं, जिससे कमियों की पहचान, सुधार और राज्य एवं जिला स्तर पर जवाबदेही को मजबूत करने में मदद मिलती है।
जनसंचार माध्यमों सहित नियमित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यनीतियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। एएनएम, आशाकर्मी और सीएचओ जैसी फील्ड स्तर की कार्यकर्ता व्यक्तिगत संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही हैं।

पोषण अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं;

- लाभार्थियों और आंगनवाड़ी सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक डिजिटल गवर्नेंस टूल के रूप में पोषण ट्रैकर का कार्यान्वयन।
- पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल की शुरुआत की गई है ताकि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को उस स्थिति में, जब पंजीकृत लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से राशन लेने में असमर्थ हो, घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके, ।
- सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य फील्ड कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग के लिए वार्षिक डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान करना।

दिनांक **07.08.2026** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक **I**

योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की वर्षवार कुल संख्या

| वित्त वर्ष | जेएसएसके के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या (स्रोत-एचएमआईएस) | पीएमएसएमए के अंतर्गत प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या (स्रोत-पीएमएसएमए पोर्टल) |
|---|---|---|
| 2021-22 | 2,43,327 | 2,47,983 |
| 2022-23 | 3,03,767 | 2,96,350 |
| 2023-24 | 2,26,002 | 2,66,049 |
| 2024-25 | 1,40,510 | 2,56,045 |
| 2025-26 | 1,35,431 | 2,85,838 |

दिनांक **07.08.2026** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3445** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक -II

**तेलंगाना में मातृ स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वर्ष-वार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन**

| **वित्तीय वर्ष** | **बजट अनुमोदन (लाख में)** |
|---|---|
| 2021-22 | 11,847.17 |
| 2022-23 | 15,721.74 |
| 2023-24 | 15,640.91 |
| 2024-25 | 10,594.48 |
| 2025-26 | 12,019.40 |

नोट – उपरोक्त आंकड़े राज्य द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

दिनांक **07.08.2026** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3445** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक -III

**सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के तहत तेलंगाना राज्य को वर्षवार जारी निधि**

| वित्त वर्ष | अनुमोदित बजट(करोड़ में) |
|---|---|
| 2021-22 | 482.33 |
| 2022-23 | 550.69 |
| 2023-24 | 507.87 |
| 2024-25 | 430.76 |
| 2025-26 | 209.2 |

स्रोत: मिशन शक्ति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार

*****